झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा | पंचदश (बजट) सत्र

संख्या-03 | सोमवार, दिनांक-21 जनवरी, 2019 ई०।

समय-10.30 बजे पूर्वाह्न से 4.07 बजे अप० तक ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रश्नकाल(वर्ग-03):-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-06

(क) उत्तरित कुल-03-	अ० सू०-20 श्रीमती गीता कोड़ा,	स० वि० स०,
	अ० सू०-21 श्री राधाकृष्ण किशोर,	स० वि० स०,
	अ० सू०-22 श्री सुखदेव भगत,	स० वि० स०।
(ख) अपृष्ठ कुल-02,	अ० सू०-18 श्री फूलचन्द मण्डल,	स० वि० स०,
	अ० सू०-19 श्रीमती सीमा देवी,	स० वि० स०।
(ग) अनागत मात्र-01,	अ० सू०-23 श्री राधाकृष्ण किशोर,	स० वि० स०।

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-19

(क) उत्तरित कुल-03,	तारां० -20 श्री गलेन जोसेफ गॉल्स्टेन,	स० वि० स०,
	तारां० -21 श्री शिवशंकर उरांव,	स० वि० स०,
	तारां० -22 श्री जगरनाथ महतो,	स० वि० स०।
(ख) अनागत कुल-16,	तारां० -23 से 38 तक।	

2. कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:-

i- माननीय सदस्य, श्री दीपक बिरूवा से ईचागढ़ के विस्तारण,

ii- माननीय सदस्य, श्री जगरनाथ महतो एवं श्री जय प्रकाश भाई पटेल से कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा दिये जाने,

iii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव से गोड्डा जिले के चीर नदी को बचाने,

iv- माननीय सदस्य, श्री कुणाल षडंगी से छठी जे.पी.एस.सी. की मुख्य परीक्षा को स्थगित करने तथा

v- माननीय सदस्य, डॉ० इरफान अंसारी द्वारा महँगी बिजली एवं होल्डिंग टैक्स की बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित दिये गये कार्य स्थगन प्रस्तावों को आसन द्वारा इस आशय के साथ अमान्य किया गया कि उक्त सारे विषय तृतीय अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान समाहित किये जायेंगे जिसमें सरकार का जवाब सम्भव है।

क्र०पृ०उ०

3.प्रश्नकाल(क्रमांक-01 से जारी, वर्ग-01):-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-14

(क) उत्तरित कुल-03, अ० सू०-24 श्री जगरनाथ महतो, स० वि० स०,
अ० सू०-25 श्री सुखदेव भगत, स० वि० स०,
अ० सू०-26 श्री राधाकृष्ण किशोर, स० वि० स०।

(ख) अनागत कुल-11, अ० सू०-27 से अ० सू०-37 तक।

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-21

(क) उत्तरित कुल-04, तारां०-01 श्री अशोक कुमार, स० वि० स०,
(दिनांक-18.01.2019 को वर्ग-05 से स्थगित)।
तारां० -39 श्री सुखदेव भगत, स० वि० स०,
तारां० -40 श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स० वि० स०,
तारां० -41 श्री अरुप चटर्जी, स० वि० स०।

(घ) अनागत कुल-17, तारां०-42 से तारां०-58 तक।

4.मुख्यमंत्री प्रश्नकाल:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-52 के तहत निम्नांकित माननीय सदस्यों ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे जिनका उत्तर उन्हें दिया गया-

क्र०सं०	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय
01	श्री अनन्त कुमार ओझा	बंगलादेशी घुसपैठियों पर रोक लगाया जाना
02	श्री प्रदीप यादव	पिछड़ों के आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाया जाना। (इस क्रम में माननीय सदस्य विरोधस्वरूप सदन की वेल में आ गये)
03	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह	सामान्य वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देना
04	श्रीमती बिमला प्रधान	लाईब्रेरियन की स्थाई नियुक्ति करना
05	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	मुकदमों की वापसी
06	श्री बिरंची नारायण	राज्य की नदियों पर बने पुलों के खम्भों को दीवार से घेरना
07	श्री जगरनाथ महतो	बेरमो अनुमण्डल को जिला बनाना
08	श्री शिवशंकर उरांव	महिलाओं का जाति प्रमाण-पत्र मायके से बनाये जाने सम्बन्धी नियम को शिथिल करना
09	श्री अरुप चटर्जी	नये उद्योगों की स्थापना तथा बेहतर औद्योगिक वातावरण तैयार करना
10	डॉ० इरफान अंसारी	सरकारी मदरसों के शिक्षकों का वेतन भुगतान करना

इस क्रम में कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा शोरगुल किये जाने पर आसन द्वारा उन्हें नियमावली पढ़े जाने की सलाह दी गयी।

क्र०पृ०उ०

5.शून्यकाल :-

आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए लिखित उत्तर के लिए सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किये जाने हेतु आसन से घोषणा की गयी।

6.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

i- श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii- श्री सुखदेव भगत, स०वि०स० द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने सत्र के दौरान गोड्डा डी.सी. द्वारा बीस सूत्री की बैठक बुलाये जाने पर अपनी नाराजगी सदन में व्यक्त की जिसपर आसन द्वारा सरकार को निदेश दिया गया कि वह गोड्डा के अतिरिक्त अन्य जिलों को भी सत्र के दौरान ऐसी बैठकें नहीं करने सम्बन्धी सूचना प्रेषित करे।)

7.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

आसन से पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा वित्तीय वर्ष-2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

8.वित्तीय कार्य:-

पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों के अनुसूची में सम्मिलित माँग संख्या-04 **''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)''** सभा में प्रस्तुत किया गया जिसपर माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत ने अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

9.वित्तीय कार्य(क्रमांक-08 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों के अनुसूची में सम्मिलित माँग संख्या-04 **''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)''** पर आसन के निदेश से माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत ने अपना वक्तव्य दिया, इसके बाद सर्वश्री अमित कुमार मण्डल, कुणाल षडंगी, अनन्त कुमार ओझा, प्रदीप यादव एवं श्री भानू प्रताप शाही ने अपना-अपना विचार रखा जिसपर माननीय मंत्री, संसदीय कार्य द्वारा सरकारी वक्तव्य दिया गया तत्पश्चात् ध्वनिमत से अनुदान तथा नियोजन की माँगों के अनुसूची में सम्मिलित माँगें मुखबंद (गिलोटिन) द्वारा बारी-बारी से सभा द्वारा स्वीकृत हुई तथा माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

10.विधायी कार्य:-

राजकीय (वित्त) विधेयक,

झारखण्ड विनियोग (01) विधेयक, 2019

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

क्र०पृ०उ०

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 एवं 03, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड विनियोग (01) विधेयक, 2019"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ इसके उपरांत सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक-22 जनवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी ।

राँची,
दिनांक- 21 जनवरी, 2019 ई०।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।